(दिनांक 22.10.2018 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है)

कर्मचारी चयन आयोग

विज्ञप्ति

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2018

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथिः 22.10.2018 से 19.11.2018

आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथिः 19.11.2018 (सायं 5.00 बजे तक)

ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथिः 21.11.2018 (सायं 5.00 बजे तक)

ऑफलाइन चालान तैयार करने के लिए अंतिम तिथिः 21.11.2018 (सायं 5.00 बजे तक)

चालान के माध्यम से भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान): 26.11.2018

कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि (प्रश्नपत्र-I):12.01.2019

प्रश्नपत्र- II (वर्णनात्मक) की तिथिः बाद में विज्ञापित की जाएगी

फा.सं 3/2/2018- नी. व यो.-।। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और हिन्दी प्राध्यापक की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 के लिए एक खुली प्रतियोगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैः

कोड	पद का नाम	वेतनमान
ए	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा	लेवल -6

	(के.स.रा.भा.से.) में कनिष्ठ अनुवादक	(35400-112400/- रुपए)
बी	रेल मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवादक (रेलवे बोर्ड)	लेवल-6 (35400-112400/- रुपए)
सी	सशस्त्र सेना मुख्यालय (स.से.मु) में कनिष्ठ अनुवादक	लेवल-6 (Rs.35400-112400)
डी	अधिनस्थ कार्यालय, जिन्होंने कनिष्ठ अनुवादक / कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदर्श भर्ती नियमों को स्वीकार किया है, में कनिष्ठ अनुवादक / कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	लेवल-6 (35400-112400/- रुपए)
ई	केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	लेवल-7 (44900-142400/- रुपए)
एफ	अधिनस्थ कार्यालय, जिन्होंने कनिष्ठ अनुवादक / कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदर्श भर्ती नियमों को स्वीकार नहीं किया है, में कनिष्ठ अनुवादक / कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	लेवल-6 (35400-112400/- रुपए)
जी	केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान (के.हि.प्र.सं) में हिन्दी प्राध्यापक	लेवल-8 (47600-151100/- रुपए)

पदों का वर्गीकरणः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08-12-2017 के आदेश संख्या 11012/10/2016- स्थापना क-III के अनुसार, उपरोक्त पदों को समूह-'ख' अराजपत्रित पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. रिक्तियाःरिक्तियों की निश्चित संख्या बाद में सूचित की जाएगी।

3. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण और उपयुक्तता:

(क) अनुसूचित जाति (अ. जा.), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) और दिव्यांगजन (दि.जन) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण जहां भी लागू और स्वीकार्य है, वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार मांगकर्ता मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों /संवर्गों द्वारा यथानिर्धारित तथा सूचित किया जाएगा ।

(ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद एक बांह (ए बां), एक पैर (ए.पै), एक बांह एवं पैर (ए.बां. एवं पै), दोनों पैर (दो.पै.), दोनों पैर एवं एक बांह (दो.पै.एवं ए. बां), नेत्रहीन (ने), अल्प दृष्टि (अ.दृ) और श्र.दि. (श्रवण दिव्यांग) की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।

(ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार हिन्दी प्राध्यापक का पद एक बांह (ए बां), एक पैर (ए.पै), एक बांह एवं पैर (ए.बां. एवं पै), दोनों पैर (दो.पै.), नेत्रहीन (ने.) और अल्प दृष्टि (अ.दृ) की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया है।

टिप्पणी: जैसा कि "दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हुए हैं और दिव्यांगता की नई श्रेणियां जैसे कि ऑटिज़्म, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता और बहु दिव्यांगता इत्यादि भी इसमें शामिल हैं । अतः ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी दिव्यांगताओं का ब्योरा देकर आवेदन कर सकते हैं । हालांकि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के साथ-साथ मांगकर्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की प्राप्ति के

अध्यधीन होगा ।कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 36035/02/2017-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 15-01-2018 (पैरा-2.2) के अनुसार निर्दिष्ट की गई विभिन्न दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी https: // ssc.nic.in. पर ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों का चयन कर सकते हैं ।

क्रम सं	दिव्यांगता का प्रकार	पंजीकरण / आवेदन पत्र में चयन की जाने वाली दिव्यांगता की श्रेणी
(क)	नेत्रहीनता और अल्प दृष्टि	दृ.दि
(ख)	बधिर तथा कम सुनने वाला	श्र.दि
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित गतिविषयक दिव्यांगता	अ.दि
(घ)	ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता ।	अन्य
(ङ)	बधिर-नेत्रहीनता सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले	

	व्यक्तियों में से बहु-दिव्यांगता	

4. राष्ट्रीयता/नागरिकताः

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंजान्यिका व जंजीबार), जांबिया ,मालावी,जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो ।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

5. आयु सीमाः

(क) 01.01.2019 को 30 वर्ष से अधिक नहीं ।

(ख) उपरोक्त पैरा 5(क) के अंतर्गत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट और 01.01.2019 को आयु छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड निम्नानुसार होंगेः

कोड सं	**श्रेणी**	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट**
01	अजा/अजजा	5 वर्ष
02	अपिव	3 वर्ष
03	दिव्यांगजन	10 वर्ष
04	दिव्यांगजन + अपिव	13 वर्ष
05	दिव्यांगजन + अजा/अजजा	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
07	अभयर्थी जो साधारणतया 01 जनवरी,1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों ।	5 वर्ष
08.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में	3 वर्ष

	फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	
09	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	8 वर्ष

(ग) अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए केवल मैट्रिक/ माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी ।

(घ) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार के सिविल सेवाओं में नियमित रूप से समूह 'ग' और 'घ' पदों पर रोजगार हासिल कर लिया गया है, वे ईएसएम श्रेणी और शुल्क छूट के योग्य नहीं हैं । तथापि, वह अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है यदि सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, उन विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने के दिनांक वार ब्योरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वयं घोषित/ वचनबंध किया हो जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल राजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक14 अगस्त 2014 को जारी

कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्थापना (आरक्षण) में यथा उल्लिखित है ।

(ङ) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

(च) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि (अर्थात 19.11.2018) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा । ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात 19.11.2018) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक की स्थिति भी प्राप्त करनी होगी ।

(छ)स्पष्टीकरणः भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

(क) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(i) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या

(ii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या

(iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

(ख) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं,नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा

(ग) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए है और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पैंशन मिली हुई है;

अथवा

(घ) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

(ङ) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ;

अथवा

(च) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

(ज) भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है ।अतः ऐसे अभयर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए ।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुपः

(क) जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब इन प्रमाणपत्रों की आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाए । अन्यथा अजा/अजजा/अपिव /शादि/ भूपूसै स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा । प्रमाणपत्रों के प्रारुप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध में संलग्न हैं । निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 के 1) के अंतर्गत जारी निःशक्तता प्रमाणपत्र भी वैध होगी । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है । इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात **19.11.2018** होगी ।

(ग) अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी

द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव/दि.जन / भू.पू.सै का दावा करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

7. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता :

(क) दृष्टिहीनता, गतिविषयक दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित- दो.बां.) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड, दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है । चूँकि यह पद दोनों बांह प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अत: ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा स्वीकार्य नहीं होगी ।

(ख) न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, अनुबंध-XII पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है ।

(ग) अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैआ की गई प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा । ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा ।

(घ) यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए । अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-XIII पर दिए गए प्रोफार्मा के

अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा ।

(ङ) ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 7(क) और 7(ख) में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा ।

(च) पैरा 7(क) और 7(ख) में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा ।

(छ) परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

8. शैक्षिक योग्यताः(01.01.2019 को)

पद कोड 'ए' से 'डी' के लिए

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी तथा

हिन्दी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रुप में हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 02 वर्ष का अनुभव ।

<u>पद कोड 'ई' के लिए (केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक)</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी तथा हिन्दी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रुप में हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 03 वर्ष का अनुभव ।

<u>पद कोड 'एफ' के लिए (अधीनस्थ कार्यालय, जिन्होंने कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण</u>

विभाग के निदर्श भर्ती नियमों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है,में कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के साथ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में मास्टर डिग्री

अथवा

मुख्य विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी (जिसमें अनिवार्य तथा वैकल्पिक शब्द सम्मिलित हैं) के साथ स्नातक की डिग्री

टिप्पणीः अभ्यर्थियों को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने स्नातक पास पाठ्यक्रम के तीनों वर्ष अंग्रेजी एवं हिन्दी का मुख्य विषयों के रूप में अध्ययन किया हो ।

पद कोड 'जी' के लिए (केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में हिन्दी प्राध्यापक)

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में स्नातक डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शिक्षा में स्नातक उपाधि ।

या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी

में मास्टर डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से शिक्षा में स्नातक उपाधि।

वांछनीयः केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था के अधीन वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर हिन्दी अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।

जिन अभयर्थियों ने 01.01.2019 को शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है/जो इसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता-प्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को 01 जनवरी, 2019 को अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण-पत्र जैसे अंक तालिकाएं/अनंतिम डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत

करने होंगे । ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा ।

9. आवेदन कैसे करेः

(क) कर्मचारी चयन आयोग की सरकारी वेबसाइट अर्थात https://ssc.nic.in पर आवेदन केवल ऑन लाइन माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं । विस्तृत अनुदेशों के लिए इस विज्ञप्ति का अनुबंध-I और अनुबंध-II देखें ।

(ख) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है **19.11.2018 (सायं 5.00 बजे) ।**

10. आवेदन शुल्कः

(क) शुल्क देयः 100/-रुपए (केवल एक सौ रुपए)

(ख) शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक चालान/ भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रुपए क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है ।

(ग) महिला अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा दिव्यांगजन (दि.जन) अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है ।

(घ) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान दिनांक **21.11.2018 (सायं 5.00 बजे)** तक किया जा सकता है । तथापि जो अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना चाहते है वे दिनांक **26.11.2018** तक बैंक के कार्य दिवस के भीतर निर्धारित भारतीय

स्टेट बैंक की शाखा में भुगतान कर सकते है, बशर्ते कि उनके द्वारा चालान दिनांक **21.11.2018 (सायं 5.00 बजे)** से पहले जनरेट किया हो ।

(ङ) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा । ऐसे निरस्तीकरन के लिए कोई अभ्यावेदन स्वीकर्य नहीं होगा । एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा ।

(च) जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है वे यह जरूर सुनिश्तित करें कि कर्मचारी चयन आयोग में उनका शुल्क जमा हो गया है । यदि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह आवेदन पत्र के सबसे उपरी हिस्से में मुद्रित होगा । उसके बाद शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगइन स्क्रीन में प्रदान किए गए लिंक 'Payment Status' से सत्यापित किया जा सकता है ।ऐसा आवेदन जो शुल्क न प्राप्त होने के कारण अपूर्ण रह गया हो , को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा की विज्ञप्ति में निर्धारित अवधि के पश्चात ऐसे आवेदन पर विचार तथा शुल्क भुगतान का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा ।

11. परीक्षा केन्द्रः

(क) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (ओं) को जरूर इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है । परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण जिनका क्षेत्राधिकार उन परीक्षा केन्द्रों पर स्थित हैं, निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	परीक्षा केन्द्र तथा केन्द्र कोड	क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने	क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता

		वाले कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्र राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	
1	इलाहाबाद (3003), लखनऊ (3010), पटना (3206)	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/** बिहार तथा उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23, लाऊदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश -211002 (http://www.ssc-cr.org)
2	कोलकाता (4410), पोर्ट ब्लेयर (4802), गंगटोक (4001), भुवनेश्वर(4604), रांची (4205)	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/** अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उडिसा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय कार्यालय **(**पू.क्षे.**)** कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल(, 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)
3	बेंगलूरू (9001), कोची (9204), तिरूवनंतपुरम (9211)	**कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)** लक्ष्यद्वीप, कर्णाटक तथा केरल	Regional Director (KKR), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, “ई” विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बैंगलूरू, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	रायपुर (6204),	**मध्य प्रदेश उप -**	उप निदेशक (म.प्र.क्षे),

	भोपाल (6001)	**क्षेत्र (म.प्र.क्षे)**/ छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश	कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492007 (www.sscmpr.org)
5	गुवाहाटी **(**दिसपुर**)** (5105)	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.)**/ अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंडतथा त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लैक्स, लास्ट गेट,-वशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6	दिल्ली (2201), जयपुर (2405), देहरादून (2002)	**उत्तरी क्षेत्र (NR)**/ दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजस्थान तथा उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं 12,केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (www.sscnr.net.in)
7	चंडीगढ़**(**1601), जम्मू (1004) श्रीनगर **(**जम्मू एवं कश्मीर**)** (1007)	**पश्चिमोत्तर उप-क्षेत्र (पश्चि.क्षे.)**/ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा पंजाब	उप निदेशक (पश्चि.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)

8	हैदराबाद (8002), चेन्नै (8201), विजयवाड़ा (8008)	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)**/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग , डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
9	मुम्बई (7204), पणजी (7801), अहमदाबाद (7001)	**पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)**/ दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिभा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र -400020 (www.sscwr.net)

(ख) बाद में किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे ठीक-ठीक दर्शाना चाहिए ।

(ग) आयोग अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए केंद्रों में उन्हें समायोजित करने का प्रयास करता है । तथापि, आयोग को किसी भी केंद्र को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और उस केंद्र के उम्मीदवारों को दूसरे केंद्र से आने का अधिकार है। आयोग परीक्षा लेने के लिए किसी भी केंद्र के उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र में बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है । आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे । आयोग

को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे ।

12. परीक्षा की रूपरेखाः

(क) इस परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे , प्रश्नपत्र-I दिनांक 12.01.2019 को आयोजित किया जाएगा तथा प्रश्नपत्र-II की सूचना बाद में दी जाएगी । इन प्रश्नपत्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

परीक्षा की तिथि	भाग	प्रश्नपत्र की पद्धति	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि/समय
12-01-2019 (शनिवार)	प्रश्नपत्र-I (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	कंप्यूटर आधारित पद्धति	(i) सामान्य हिन्दी (ii) सामान्य अंग्रेजी	100/ 100 100/ 100	2 घंटे (ऊपर पैरा - 7 (क) और 7 (ख) के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट, जिन्हें प्रलिपिक के उपयोग की अनुमति है)
(बाद में उचित समय	प्रश्नपत्र-II (परंपरा	वर्णनात्मक	अनुवाद तथा निबंध	200 अंक	2 घंटे (ऊपर पैरा -

पर सूचित किया जाएगा)	गत प्रकार)				7 (क) और 7 (ख) के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट, जिन्हें प्रलिपिक के उपयोग की अनुमति है)

(ख) प्रश्नपत्र-। में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार- बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे ।

(ग) प्रश्नपत्र-। में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे । अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखें ।

(घ) कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं (प्रश्नपत्र -1) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक, कई पालिओं में आयोजित किए जाने के मामले में, सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यकृत अंकों का प्रयोग अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए किया जाएगा ।

13. निश्चयार्थ पाठ्यक्रम

(क) प्रश्नपत्र – ।(कंप्यूटर आधारित परीक्षा): इसमें ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी के भाषा और साहित्य की समझ और शब्दों, मुहावरों तथा वाक्यांशों का सही प्रयोग करने, भाषा को सही, ठीक-ठीक तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने में उनकी योग्यता को आंका जा सके । प्रश्न डिग्री स्तर के होंगे ।

(ख) प्रश्नपत्र-II: अनुवाद और निबंध- 200 अंक (परंपरागत प्रकार)

अभ्यर्थी के अनुवाद कौशल और दोनों भाषाओं को सही, ठीक-ठाक एवं प्रभावशाली ढंग से लिखने एवं समझने में उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए, इस प्रश्नपत्र में अनुवाद करने के लिए दो गद्यांश होंगे, जिसमें से एक गद्यांश का **हिंदी से अंग्रेजी** तथा एक का **अंग्रेजी से हिंदी** में अनुवाद करना होगा और अंग्रेजी तथा हिंदी में अलग से एक-एक निबंध लिखना होगा । प्रश्नपत्र का स्तर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप होगा ।

14. दस्तावेज सत्यापन (डी.वी.)

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आना अपेक्षित है । जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके नाम पर अंतिम चयन के समय किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, संबंधित दस्तावेज, यदि कोई छूट ली गई है तो , आदि जमा करने होंगे । अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय सत्यापन के लिए मूल रूप से सभी दस्तावेजों का प्रस्तुत करना होगा । अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाते समय आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी । अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए विस्तृत विकल्प या तो ऑनलाइन अथवा दस्तावेज़ सत्यापन के समय लिया जाएगा ।

15. चयन का तरीकाः

(क) उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिनके आनलाइन आवेदन व्यवस्थित पाए जाते हैं । कंप्यूटर

आधारित परीक्षा और साथ ही, सभी उत्तरवर्ती स्तरों में परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा । परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा । अभ्यर्थियों को नियमित रुप से आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (अर्थात https://ssc.nic.in) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात उन क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटें जिनके न्यायक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं (विवरण पैरा-11 पर), देखने की सलाह दी जाती है।

(ख) (प्रश्नपत्र-I) अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों को श्रेणी-वार प्रश्नपत्र-।। में बैठने के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा ।

(ग) अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-I+ प्रश्नपत्र-।। में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा ।

(घ) अभ्यर्थियों के प्रश्नपत्र-I+ प्रश्नपत्र-।। में उनके कार्य निष्पादन तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयता के आधार पर मंत्रालयों/विभागों का आबंटन तथा अंतिम चयन किया जाएगा ।

(ङ) अभ्यर्थी को उनके योग्यता के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों/विभागों की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है । अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता **अंतिम** माना जाएगा और यह **अपरिवर्तनीय** होगा । अभ्यर्थियों द्वारा पदों/विभागों के परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा ।

(च) आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों / विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर पदों के लिए अंतिम आवंटन तैयार करता है और

एक बार पद आवंटित होने के बाद, शारीरिक / चिकित्सा / शैक्षणिक मानकों की किसी भी पद विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । दूसरे शब्दों में, उदाहरणार्थ यदि किसी अभ्यर्थी ने एक पद के लिए उच्च वरीयता दी है और उस पद के लिए चुना गया है; उस स्थिति में, यदि वह चिकित्सा / शारीरिक / शैक्षणिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके नाम पर अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

(छ) अजा, अजजा, अपिव और दिव्यांगजन श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं,उन्हें आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को उनके श्रेणी के लिए निर्धारित समग्र योग्यता या रिक्तियों में अपनी स्थिति के अनुसार पद में सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों में से समायोजित किया जाएगा, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो । आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव और दिव्यांगजन श्रेणी के योग्य अभयर्थियों से भरी जाएंगी ।

(ज)) अजा, अजजा, अपिव और दिव्यांगजन श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जो उनके योग्यता स्थिति पर ध्यान दिए बिना आयु सीमा, अनुभव या योग्यता,अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि अनारक्षित रिक्तियों में । आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है । जहां तक भू.पू.सै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं माना जाएगा । इसी तरह दिव्यांगजन

अभ्यर्थियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट को मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता।

(झ) शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो ।

(ञ) सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है ।

(ट) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा । लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

(ठ) परीक्षा के आधार पर नियुक्त हुए अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे और परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करें या ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करें । परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने लेने पर यदि अभ्यर्थियों को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो अभ्यर्थियों को उनके पदों पर स्थायी कर दिया जाएगा ।

(ड) नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं अर्थात यह सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले है ।

16. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटाराः

उन मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी एक समान कुल प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगाः-

i) प्रश्नपत्र -।। में कुल अंकों को देखकर ।
ii) प्रश्नपत्र -। में कुल अंकों को देखकर ।
iii) जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है ।
iv) नामों के वर्णानुक्रम को देखकर ।

17. परीक्षा में प्रवेश

(क) उन सभी अभ्यर्थियों, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवसथित पाए पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञपति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं, को रोल नंबर दिया जाएगा जोकि प्रश्नपत्र-। अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के लिए बुलाए जाने के समय उन्हें सूचित किया जाएगा।

(ख) परीक्षा संबंधी प्रवेश-पत्र (प्र.प.)/प्रवेश प्रमाण-पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। **परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे**। परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक

अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा। प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध होगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(ग) अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए । इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(घ) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपनी पहचान का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए । इस प्रकार के पहचान-पत्रों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

(ड.) अभ्यर्थी को तीन पासपोर्ट आकार के अपने फोटो अपने साथ लाने चाहिएं जोकि आवश्यकता होने पर परीक्षा निरीक्षक की उपसथिति में प्रवेश-पत्र की आयोग की प्रति में लगाने पड़ सकते हैं । जो अभ्यर्थी अपने साथ फाटोग्राफ नहीं लाएंगे, उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उस फोटोग्राफ की 10 कॉपी परीक्षा प्रक्रिया की समापति तक अपने पास रखें जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की है ।

(च) धुंधला फोटोग्राफ और/या हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

18. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाईः

(क) यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटे लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	2 वर्ष

3	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
4	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	3 वर्ष
5	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
6	'सविच ऑन' या 'सविच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
7	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
8	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
9	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
10	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
11	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
12	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
13	आग्नेयास्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
14	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों नकल करना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और	7 वर्ष

	अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	
16	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
17	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री,लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
18	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
19	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

19. आयोग का निर्णय अंतिमः

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने व बल आबंटन, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. रोजगार केअवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.39020/1/2015-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर या नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस),

श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता/पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/शादि/भू.पू.सै), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यताका निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल, तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करनेका विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग/एनसीएस की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

21. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

22. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ।
(ख)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व

	शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद(दों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(ग)	अजा/अजजा/अपिव/शादि के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(घ)	केवल 40% और उससे अधिक की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति(दि.व्य.) माना जाएगा और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे ।
(ङ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
(च)	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा नवीनतम आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता(किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से

	नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(छ)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
(ज)	अपाठ्य /धुंधलें फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(झ)	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(ञ)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ट)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपनी पहचान का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ठ)	परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर ब्लूटूथ सहित मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है। परीक्षा हाल के अंदर इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद हो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए समझा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। उनके विरुद्ध आयोग द्वारा आपराधिक कार्रवाई एवं आयोग की परीक्षा से वारित करने सहित जैसा आयोग निर्णय ले

	,आगे कार्रवाई की जा सकती है ।
(ड)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
(ढ)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ण)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए ।
(त)	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा),अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा शारीरिक दिव्यांग (शा.दि.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है ।

अवर सचिव (नीति एवं योजना-II)

अनुबंध-I

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण
II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
    - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
    - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)। पंजीकरण के समय दी गयी ईमेल आईडी अभ्यर्थी की यूज़र आईडी होगी।
    - ग. आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या । यदि आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)
        - i. वोटर आईडी कार्ड
        - ii. पैन
        - iii. पासपोर्ट
        - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
        - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
        - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

घ. बोर्ड, अनुक्रमांक और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का वर्ष के बारे में जानकारी।

ङ. जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई)X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होनी चाहिए। **धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा**।

च. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 3.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **धुंधली हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा**।

छ. यदि आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गयी है, तो जेपीईजी प्रारूप (10 केबी से 30 केबी) में स्कैन किए गए बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई)। अपेक्षित छवि का आयाम लगभग 3.0 सेमी (चौड़ाई)X 3.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । **धुंधले इंप्रेशन वाले आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**

ज. यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो जेपीईजी/पीडीएफ प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, http://ssc.nic.in पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

क. मूलभूत विवरण

ख. अतिरिक्त जानकारियां

ग. संपर्क विवरण

घ. फोटो हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई)

5. **‘एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र’ भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें**:

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है । यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा ।

ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ आधार नामांकन संख्या/पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।

ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है । यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया हैं, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।

घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ङ. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है ।

छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. अनुक्रमांक
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ज. क्रम संख्या -7: लिंग

झ. क्रम संख्या- 8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (सर्वोच्च)

ञ. क्रम संख्या- 9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। **एसएससी ऑनलाइन सिस्टम में लॉगिन के लिए आपका ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नाम होगा** । यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको 7 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड

पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

थ. अब अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें और दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड़ करें।

फ. सूचनाएं सहेजे और संपर्क विवरण प्रदान करने के लिए आगे बढ़ें।

ब. क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

भ. क्रम संख्या 19 से 22: उपरोक्त क्रम संख्या-2 में निर्दिष्टानुसार हाल ही की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। यदि आपके पास आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या नहीं है, तो आपको बाएं हाथ के अंगूठे के स्कैन किए गए इंप्रेशन को अपलोड करना होगा। यदि किसी उम्मीदवार के बांए हाथ का अंगूठा नहीं है, तो दाएं हाथ के अंगूठे की छाप या बाएं पैर की अंगुली या दांए पैर की अंगुली का निशान इस क्रम में उपयोग किया जा सकता है।

म. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। आपके पास ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लेने और ड्राफ्ट सूचनाओं को अपने पंजीकृत ईमेल

आईडी में भेजने की सुविधा है। 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

य. 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको संबंधित ओटीपी दर्ज करना होगा।

कक. मूलभूत सूचनाओं को प्रदान करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ' मूलभूत विवरण' केवल एक बार बदला जा सकता है। **एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें** ।

7. **आपको पुन: सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।**

अनुबंध-II

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. अपने पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

2. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Junior Hindi Translator, Junior Translator, Senior Hindi Translator and Hindi

Pradhyapak Examination 2018’ सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें ।

3. क्रम सं.-1 से 12 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है।
4. क्रम संख्या-13: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
5. क्रम संख्या-14: यदि आप एक पूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/पूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।
6. क्रम संख्या-15: क्रम सं. 15 और 15.1 में सूचना आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भरी जाएगी।
7. क्रम संख्या-16: यदि आप परीक्षा की विज्ञपति के पैरा-7 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
8. क्रम संख्या-17: यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें।
9. क्रम संख्या-18: कृपया परीक्षा-विज्ञपति का पैरा संख्या-20 देखें और तदनुसार भरें।
10. क्रम संख्या-19: कृपया अपनी उच्चतम योग्यता इंगित करें।
11. क्रम संख्या 20, 21 और फोटो/हस्ताक्षर/बायोमीट्रिक इंप्रेशन के संबंध में जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वत: भर जाएगी।
12. “मैं सहमत हूं” चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें।
13. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन जमा करें।

14. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

15. शुल्क का भुगतान एसबीआई चालान/एसबीआई नेट बैंकिंग अथवा वीसा,मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

16. शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञपति के पैरा-10 का संदर्भ लें ।

17. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए । किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>अनुबंध-III</u>

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-5 (छ) देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _______________ (रैंक)________________ (नाम)___________________________ (दिनांक)_______________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थानः (कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

अनुबंध -IV

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है, के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अध्यधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा एवं पद नियमावली, 1979 में भूपू सैनिकों की पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अधीन भू.पू.सै. को देय लाभों का/की हकदार हूँ।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भू.पू.सै. के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी ।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूं।

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि ____________________

ख) कार्यमुक्ति की तिथि ____________________

ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि ____________________

घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर ____________________

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध-V

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का

आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या मूल प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*______________ पुत्र/पुत्री___________________ निवासी ग्राम/कस्बा* _____________ जिला/संभाग* ____________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* __________ के ________________ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____________

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____________

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

____

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

____

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _________

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान
(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1989@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007@

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _________ के माता/पिता श्री/श्रीमती _________ निवासी _________ ग्राम/कस्बा* _________ जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _________ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो _________ दिनांक _________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _________ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*_________जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _________ में रहता है ।

हस्ताक्षर _________

**पदनाम_________

स्थान _________

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक_________

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

<u>टिप्पणी</u>:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा २० में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

<u>टिप्पणी</u>:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

<u>अनुबंध-VI</u>

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ________
सुपुत्र/सुपुत्री ________
ग्राम/कस्बा ________ जिला/संभाग ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ________ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजकि न्याय एवं अधकिारतिा मंत्रालय के संकल्प सं --------------- दिनांक ------* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कुo --------------- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः--------------- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के --------------- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश
उपायुक्त आदि

दिनांक:
मुहरः

---

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी-:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

<u>अनुबंध -VII</u>

<u>प्रारूप-V</u>

<u>निःशक्तता प्रमाण पत्र</u>

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --जन्म तिथि ------------------ (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में -------------- निदान किया गया है ।

(ग) वे दिशानिर्देशों ------------- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने -------------- (शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में ------------ %(अंकों में)   ------------ % (शब्दों में) स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

<u>अनुबंध- VIII</u>

प्रारूप-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु नि:शक्तता संबंधी मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता) प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------	निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी------------------------------- *सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री*--*जन्म तिथि*----------------- (*दि/मा/*व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------ राज्य ------------ के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			

16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिसीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में .... प्रतिशत

शब्दों में .... प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .... वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... (तारीख) .... (माह) ....(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरण: बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षण एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

<u>अनुबंध-IX</u>

प्रारूप-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उललिखित मामलों को छोड़कर)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता) प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ----------------	निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी------------------------------- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -- *जन्म तिथि* ----------------- (*दि/मा/*व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ----------, जोकि मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------ राज्य ------------ के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे .... निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प द्दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			

15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिसीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .... वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... (तारीख) .... (माह) ....(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

\# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरण: बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का	जारी करने की	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले

स्वरूप	तारीख	प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,
तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-X

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
अनुवाद में प्रमाणपत्र	**03**
अनुवाद में डिप्लोमा	**04**
बी.ए.	**05**
बी.ए.(आनर्स)	**06**
बी. कॉम	**07**
बी. कॉम (आनर्स)	**08**
बी.एससी.	**09**
बी.एससी. (आनर्स)	**10**
बी.एड.	**11**
एल.एल.बी.	**12**
बी.ई.	**13**
बी.टैक.	**14**
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	**15**
बी.एस.सी. (इंजी)	**16**
बी.सी.ए.	**17**
बी.बी.ए.	**18**
रक्षा (भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	**19**
पुस्तकालय स्नातक	**20**
बी.फार्मा	**21**
आई सी डब्ल्यू ए	**22**
सी. ए.	**23**
पी.जी. डिप्लोमा	**24**
एम.ए.	**25**
एम.कॉम.	**26**
एम.एससी.	**27**
एम.एड.	**28**
एल.एल.एम	**29**

एम. ई.	**30**
एम. टैक	**31**
एम.एससी. (इंजी।)	**32**
एम.सी.ए	**33**
एम.बी.ए	**34**
अन्य	**35**

अनुबंध-XI

शैक्षिक योग्यता के विषय कोड

शैक्षिक योग्यता का विषय	**कोड**
इतिहास	01
राजनीति विज्ञान	02
अर्थशास्त्र	03
अंग्रेजी /अंग्रेजी साहित्य	04
हिंदी /हिंदी साहित्य	05
भूगोल	06
वाणिज्य	07
विधि	08
भौतिक विज्ञान	09
रसायन विज्ञान	10
गणित	11
सांख्यिकी	12
वनस्पति शास्त्र	13
प्राणी विज्ञान	14
कृषि विज्ञान	15
सिविल अभियांत्रिकी	16
वैद्युत अभियांत्रिकी	17
यांत्रिक अभियांत्रिकी	18
इलैक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी	19
इलैक्ट्रोनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी	20
इलैक्ट्रोनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	21
इलैक्ट्रोनिकी एवं इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी	22
कृषि अभियांत्रिकी	23
कम्प्यूटर विज्ञान	24

कम्प्यूटर अनुप्रयोग	25
सूचना प्रौद्योगिकी	26
पुस्तकालय विज्ञान	27
लेखाशास्त्र	28
वर्क एकाऊटेंसी	29
व्यापार प्रबंधन	30
जन संचार	31
पत्रकारिता	32
जन संचार एवं पत्रकारिता	33
फार्मेसी	34
फोटोग्राफी	35
मुद्रण प्रोद्यौगिकी	36
नर्सिंग	37
असमी	38
बंगाली	39
मलयालम	40
तेलगु	41
कन्नड	42
तमिल	43
मराठी	44
गुजराती	45
उर्दू	46
संस्कृत	47
अन्य	48

<u>अनुबंध-XII</u>

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ...., ग्राम/जिला/राज्य .... के निवासी हैं, जोकि ....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल
सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:
तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- असथि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रामण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-XIII

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं .... दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका...................... (जिले का नाम) .... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) .... में सथित ....(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक .... है।

मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

मै सूचित करता/करती हूं कि .... (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता .... है । यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख: